रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 11—अगस्त 17, 2007 (श्रावण 20, 1929)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 11—AUGUST 17, 2007 (SRAVANA 20, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

वास्तुकला परिषद्

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अगस्त 2006

वार्षिक रिपोर्ट 2005-2006

वास्तुकला परिषद् जोकि वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक सांविधिक निकाय है, 31.03.2006 को समाप्त वर्ष के लिए परीक्षित लेखा-विवरण सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

संगठनात्मक संरचना :

वास्तुकला परिषद् अपने अध्यक्ष के पूर्ण कार्यभार के अधीन काम करती है। रजिस्ट्रार अध्यक्ष वास्तुकला परिषद् और परिषद् की समितियों के सामान्य पर्यवेक्षण में सांविधिक कर्तव्य एवं कार्य निष्पादित करते हैं और उनके सहायक के रूप में एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जैसा कि वास्तुकला परिषद् विनियमावली, 1982 में उल्लेख किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय वास्तुकला परिषद् का नोडल मंत्रालय है।

परिषद् में सदस्यों के रूप में निर्वाचित एवं नामित प्रतिनिधि शामिल होते हैं यथा-केंद्रीय सरकार का एक नामिती, प्रत्येक सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामित एक वास्तुविद्, भारतीय वास्तुविद् संस्थान के सदस्यों में से निर्वाचित पाँच प्रतिनिधि, वास्तुविद् संस्थाओं के प्रमुखों में से निर्वाचित पाँच व्यक्ति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नामित दो व्यक्ति केंद्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सैन्य इंजीनियरिंग सेवा, रक्षा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय का मुख्य वास्तुविद् (पदेन), इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किए गए दो व्यक्ति और भारतीय सर्वेक्षक संस्था द्वारा अपने सदस्यों में से नामित किया गया एक व्यक्ति।

सांविधिक तथा अन्य समितियाँ :

वास्तुविद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिषद् ने सांविधिक समितियाँ गठित की हैं, यथा-कार्यकारिणी समिति जो परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है, अनुशासन समिति जो शिकायतों की जाँच-पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जाँच करती है, सलाहकार समिति (अपील) जो उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठकें हुईं अर्थात् 45वीं बैठक 28 अप्रैल, 2005 और 46वीं बैठकें 30 नवम्बर, 2005 को।

कार्यकारिणी समिति की पाँच बैठकें हुई अर्थात् 80वीं बैठक 2 अप्रैल, 2005 को, 81वीं बैठक 27 अप्रैल, 2005 को, 82वीं बैठक 20 सितम्बर, 2005 को, 83वीं बैठक 17 दिसम्बर, 2005 को और 84वीं बैठक 20 फरवरी, 2006 को ।

अनुशासन समिति की बैठकें 6 सितम्बर, 2005 और 8 फरवरी, 2006 को हुई । इन बैठकों का उद्देश्य उन शिकायतों की सुनवाई करना था जो वास्तुविदों के अभिकथित व्यावसायिक कदाचार के विरुद्ध दायर की गई थीं और परिषद् द्वारा समिति को भेजी गई थीं । अनुशासन समिति ने शिकायतकर्ताओं और प्रतिवादी-वास्तुविदों की सुनवाई करने के बाद परिषद् को उपयुक्त कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् तथा उक्त समितियों द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों तथा कार्रवाई का सारांश नीचे दिया जा रहा है :

1.0 पुणे में वास्तुकला में राष्ट्रीय उच्च अध्ययन संस्थान (निआसा)- वास्तुकला परिषद् अनुसंधान केंद्र की स्थापना:

परिषद् ने 28 अप्रैल, 2005 को आयोजित की गई अपनी 45वीं बैठक में अपने एक अनुसंधान केंद्र अर्थात् राष्ट्रीय वास्तुकला उच्च अध्ययन केंद्र (निआसा) की स्थापना करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया । इस अनुसंधान केंद्र के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

i) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम प्रारंभ करना,

ii) पेशेवर वास्तुविदों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वास्तुकला संबंधी ज्ञानवर्धन के लिए अनुवर्ती शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना;

iii) संपूर्ण भारत में वास्तुकला संस्थाओं का निरीक्षण करने के उद्देश्य से वास्तुकला परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, और

iv) वास्तुकला शिक्षा का अध्ययन करने वाले छात्रों के उपयोग के लिए वास्तुकला पर पुस्तकों के प्रकाशन संवर्धन से संबंधित मामलों में कार्रवाई करने के लिए "वास्तुकला पर पुस्तकों के प्रकाशन" पर एक समिति का गठन करना और संदर्भ सामग्री के लिए एक 'ज्ञान-बैंक' स्थापित करने का सुझाव देना तथा वास्तुकला पाठ्य-विवरण के लिए विहित की गई पाठ्यपुस्तक के विषय और गुणवत्ता का अनुवीक्षण करना ।

यह अनुसंधान केंद्र वास्तुकला शिक्षकों के उन्नयन में उनकी जरूरतों को पूरा करेगा । अनुसंधान गतिविधियों और 'क्लिमोन' जैसे कार्यक्रमों / गतिविधियों के लिए स्थायी ऐसी सुविधाएं भी सृजित की जाएंगी जिनके लिए धन की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा की जाती है ताकि अनुसंधान केंद्र उनका संचालन कर सके । महाराष्ट्र सरकार पुणे के निकट इस केंद्र की स्थापना के लिए भूमि आबंटित करने के लिए सहमत हो गई है और केंद्र की गतिविधियों के संचालन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से रु. 25 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त करने

का प्रस्ताव किया गया है । यह एक आत्म-निर्भर केंद्र होगा और इस पर वास्तुकला परिषद् का पूर्ण नियंत्रण होगा ।

2.0 अनुशासनिक कार्रवाई:

प्रत्येक वास्तुविद् से अपेक्षा की जाती है कि वह 2003 में संशोधित वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियमावली 1989 के उपबंधों का पूर्णत: पालन करेगा । वास्तुविद् अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वास्तुविद् को जाँच-पड़ताल और उसकी सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् ने 30 नवम्बर, 2005 को हुई अपनी 46वीं बैठक में उन प्रतिवादी वास्तुविदों के लिए जिन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार व्यावसायिक कदाचार का दोषी पाया गया था, के लिए निम्न आदेश दिये:-

i) श्री हफीज ठेकेदार, वास्तुविद् (पंजीकरण सं. सी ए 77/4043) को चेतावनी दी जाए ।

ii) श्री जियाउद्दीन मोहम्मद शेख, वास्तुविद् (पंजीकरण सं. सी ए 83/7837) को उनकी प्रैक्टिस से छह महीने के लिए निलम्बित किया जाए ।

iii) श्री के. वी. सम्पत, वास्तुविद् (पंजीकरण सं. सी ए /75/1433) को उनकी प्रैक्टिस से 2 वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए ।

iv) श्री अनिरुद्ध दांडेकर, वास्तुविद् (पंजीकरण सं. सी ए /92/14595)को चेतावनी दी जाए।

3.0 नई संस्थाओं का अनुमोदन 2005-2006:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बैचलर ऑफ आर्कीटेक्चर कोर्सेस (अंशकालिक पाठ्यक्रमों सहित) प्रदान करने के लिए 10 नई शैक्षिक संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया और मास्टर और आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 12 शैक्षिक संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया । तदनुसार वास्तुकला में मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़कर 135 हो गई है और पूर्वस्नातक छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या 6642 और स्नातकोत्तर स्तर पर 740 हो गई है ।

4.0 शिक्षा सत्र 2005-2006 के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाना :

वास्तुकला परिषद् ने शिक्षा सत्र 2005-2006 के लिए 132 निरीक्षण किए और संस्थाओं के लिए अनुमोदन की अवधि निम्नलिखित ढंग से बढ़ाई या अन्यथा तय की :

i) वे संस्थाएं जिनके लिए वर्तमान प्रवेश क्षमता को कायम रखते हुए वर्ष 2005-2006 के लिए प्रदत्त अनुमोदन की अवधि को आगे और बढ़ाया गया : 69

ii) वे संस्थाएँ जिनमें वर्ष 2005-2006 के लिए कोई "प्रवेश नहीं" है : 4

परिषद् ने शिक्षा-सत्र 2006-2007 के लिए उन संस्थाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिनका निरीक्षण किया जाना है :

5.0 **केंद्र / राज्य स्तर पर सरकारी वास्तुकला विभागों के कार्यकरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला :**

परिषद् ने 16 और 17 दिसम्बर, 2005 को पांडिचेरी में केंद्र / राज्य सरकारों के सरकारी वास्तुकला विभाग के कार्यकरण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया । इस कार्यशाला में मुख्य वास्तुविदों तथा केंद्रीय / राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / संगठनों और अन्य निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । कार्यशाला की सिफारिशें परिषद् की कार्यकारिणी समिति को प्रस्तुत कर दी गई हैं ताकि संबंधित स्तरों पर रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए नीति तय की जा सके ।

6.0 **वास्तुकला शिक्षा पर कार्यशाला :**

परिषद् ने वास्तुकला संकाय, सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद में उसके सहयोग से 13 और 14 फरवरी, 2006 को वास्तुकला शिक्षा पर एक कार्यशाला आयोजित की । इस कार्य में भाग लेने के लिए परिषद् की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों, भारत में वास्तुकला विद्यालयों के प्रमुखों, आईआईए के प्रतिनिधियों, पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर बोर्ड के सदस्यों तथा संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया । इस कार्यशाला में वास्तुकला परिषद् के पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर बोर्ड द्वारा पूर्व-स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा के न्यूनतम मानकों के संबंध में जो मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे उन पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यशाला में की गई सिफारिशों को अगली कार्रवाई हेतु परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

7.0 **(क) वास्तुविद् रजिस्टर से वास्तुविदों के नाम हटाना:**

परिषद् ने 28 अप्रैल 2005 को हुई अपनी 45वीं बैठक में 11 वास्तुविदों और 30 नवम्बर 2005 को हुई 46वीं बैठक में 18 वास्तुविदों के नाम उनके अनुरोध पर या उनकी मृत्यु होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए ।

(ख)वास्तुविद् रजिस्टर में वास्तुविदों के नाम पुन: दर्ज करना:

परिषद् ने 21.08.2004 से 31.03.2005 के दौरान 28 अप्रैल, 2005 को हुई अपनी 45वीं बैठक में 778 वास्तुविदों और 1.04.2005 से 21.10.2005 के दौरान 30 नवम्बर, 2005 को हुई अपनी 46वीं बैठक में 1122 वास्तुविदों के नाम वास्तुविद् रजिस्टर में पुन: दर्ज किए । इन वास्तुविदों ने अपेक्षित फीस अदा करके वास्तुविद् रजिस्टर में अपने नाम पुन: दर्ज करा लिए ।

8.0 **(क)वर्ष 2005-2006 के लिए बजट का अनुमोदन:**

परिषद् ने 28 अप्रैल 2005 को हुई अपनी 45वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2005--2006 के लिए बजट अनुमान में रु. 1,33,03,000/-के आवर्ती व्यय तथा रु. 12,50,000/- के अनावर्ती व्यय

की अनुमानित राशि के लिए अनुमोदन प्रदान किया जबकि प्राप्य आय की राशि रु. 1,45,85,000/- है ।

(ख)लेखापरीक्षकों की नियुक्ति:

परिषद् ने 30.11.2005 को हुई अपनी 46वीं बैठक में रु. 10,000/- की लेखापरीक्षा फीस पर वास्तुकला परिषद् के लेखाओं की परीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में सर्वश्री शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली की नियुक्ति की ।

9.0 व्यावसायिक आचरण विनियमावली, 1989 का प्रवर्तन:

वास्तुकला परिषद् द्वारा यह देखा गया है कि सरकारी विभागों / उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों समेत प्रयोक्ता उद्योगों ने यह प्रैक्टिस अपना रखी है कि वे निविदाएं / वित्तीय बोलियां आमंत्रित करके तथा अनिवार्य शर्त के रूप में बयाना जमा करने का आग्रह कर वास्तुविदों को नियुक्त कर लेते हैं ताकि वास्तुकलात्मक सेवाएं / परामर्श उपलब्ध कराने के लिए उन्हें पात्र बनाया जा सके । परिषद् उन वास्तुविदों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी करती रही है जो मानकों के विपरीत विज्ञापनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं और विनियमों के विरुद्ध अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं ।

प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों के अनुरोध पर परिषद् ने विभिन्न प्राधिकारियों यथा राज्य सरकारों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों को इस आशय के अनेक पत्र लिखे हैं कि वास्तुविदों से टेंडर लागत अदा करने, वास्तुकला परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम फीस के विपरीत न्यूनतम फीस उद्धृत करने तथा बयाना जमा करने का आग्रह न करें क्योंकि इन शर्तों से वास्तुविदों का व्यावसायिक प्रैक्टिस से संबंधित अधिकार प्रतिबंधित होता है । परिषद् ने इस मामले को केंद्रीय सतर्कता आयोग में भी उठाया है क्योंकि उसने परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में कुछ दिशा-निर्देश विहित किए हुये हैं ।

10.0 वास्तुकला प्रतियोगिताएँ :

परिषद् ने वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताओं के लिए अपने द्वारा निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप वास्तुकलात्मक डिजाइन प्रतियोगिताओं के संचालन में अनेक प्रवर्तकों यथा भारतीय विमान पत्तन, नवोदय विद्यालय समिति, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार तथा अन्य अनेक नगर निगमों, संगठनों तथा व्यक्तिक ग्राहकों आदि की सहायता की है । प्रवर्तकों और प्रतियोगियों ने प्रतियोगिताओं का संचालन करने तथा अपने हितों की रक्षा करने के लिए जब भी दिशा-निर्देशों और विशिष्टियों की मांग की उन्हें परिषद् द्वारा उपलब्ध कराया गया ।

11.0 वास्तुविदों का पंजीकरण :

परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में उस व्यक्ति का पंजीकरण करती है जो भारत में रहता हो या वास्तुविद् का व्यवसाय करता हो तथा उसके पास मान्यताप्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता हो ।

वर्ष के दौरान (1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 तक) परिषद् ने वास्तुविद् के रूप में 2294 व्यक्तियों का पंजीकरण किया और इस प्रकार 31 मार्च, 2006 तक वास्तुविद् के रूप में कुल 37827 व्यक्तियों का पंजीकरण किया जा चुका है ।

12.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन :

परिषद् ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों आदि को इस आशय के अनेक पत्र लिखे हैं कि वे विशेषत: निम्नलिखित के संबंध में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 तथा वास्तुविद् (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 1989 के उपबंधों को लागू करें : (i) वास्तुविद् की पदवी और शैली का संरक्षण (ii) स्थानीय निकायों द्वारा उन वास्तुविदों से आगे और कोई पंजीकरण या फीस नहीं माँगी जाएगी जो वास्तुकला परिषद् में पंजीकृत हैं (iii) वास्तुविदों के विशेषाधिकार की रक्षा करना ताकि वे वास्तुविद का व्यवसाय कर सकें, और (iv) ऐसे किसी भी व्यक्ति को वास्तुविद् का लाइसेंस जारी नहीं किया जाना चाहिए जो वास्तुकला परिषद् में वास्तुविद् के रूप में पंजीकृत न हो ।

परिषद् ने उन विभिन्न व्यक्तियों / फर्मों को नोटिस जारी किए हैं जो वास्तुकला परिषद् में पंजीकृत हुए बिना वास्तुविद् के नाम और शैली का प्रयोग कर रहे हैं तथा अवैध रूप से वास्तुकला व्यवसाय कर रहे हैं । परिषद् वास्तुविदों के नाम और शैली का दुरुप्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई आपराधिक शिकायतों के संबंध में भी दिल्ली में पटियाला हाउस जिला अदालत में जोरदार कार्रवाई कर रही है ताकि वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया जा सके और इस प्रकार के कृत्य करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जा सके ।

13.0 प्रकाशन :

वास्तुकला परिषद् प्रत्येक महीने "आर्कीटेक्चर टाइम स्पेस एंड पीपल" पत्रिका निकाल रही है । यह पंजीकृत वास्तुविदों को नि:शुल्क भेजी जाती है । इस पत्रिका में परिषद् की गतिविधियों, वास्तुकला व्यवसाय से संबंधित मुद्दों तथा प्रौद्योगिकी की अद्यतन प्रगतियों एवं अनुप्रयुक्त नवाचारों की उपयोगी सूचना दी जाती है । संप्रति, इस पत्रिका का मुद्रण एवं प्रकाशन मै0 लाइफ स्टाइल मीडिया, नई दिल्ली की सहायता से किया जा रहा है ।

14.0 भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता का परिशोधन :

वास्तुकला परिषद् ने भरसक प्रयास किए हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो (बी. आई. एस.) से यह अनुरोध किया जाए कि वह वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-2 प्रशासन में संशोधन करे और वास्तुविदों की डिजाइन क्षमता को निम्न न करे । भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में राष्ट्रीय भवन संहिता का नया संस्करण निकाला है ।

सामान्यत: पूरे देश में राष्ट्रीय भवन संहिता का पालन व्यापक रूप से किया जा रहा है लेकिन इसमें वास्तुविदों के लिए विहित डिजाइन क्षमता से वास्तुविदों के व्यवसाय और आम जनता पर

प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है जिनको योग्य व्यवसायियों की सेवा प्राप्त होनी चाहिए । परिषद् ने आम जनता के हितों तथा भारत की संसद द्वारा वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की अधिनियमन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों से प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया है कि वह बी. आई. एस. को वास्तुविदों की अर्हताओं तथा सक्षमता का निर्धारण करने से रोकें क्योंकि इन्हें वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत दिया जाता है और उनका नियंत्रण किया जाता है ।

15.0 विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार :

वास्तुकला परिषद् अपने नोडल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उपरोक्त विषय मे निरंतर अन्योन्यक्रिया करती रहती है । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उन सभी मुद्दों का समन्वय करता है जो वास्तुकला शिक्षा और सेवाओं के लिए भारत के अनुरोधों एवं प्रस्तावों पर विचार करने हेतु इन मंत्रालयों को संगत निविष्टियां उपलब्ध कराने के लिए विश्व व्यापार संगठन में 'गेट्स' से संबंधित हैं ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार तथा सिंगापुर सरकार के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक सहयोग करार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, वास्तुकला बोर्ड, सिंगापुर के साथ पारस्परिक मान्यता करार निष्पादित करने के लिए परिषद् ने नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में मार्च 2006 में वास्तुविद् बोर्ड, सिंगापुर के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की और बैठक में किए गए विचार-विमर्शों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

16.0 आभार :

वास्तुकला परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों को उनके द्वारा परिषद के कार्यकरण में दिए गए सहयोग के लिए, वास्तुकला के सभी विद्यालयों और राज्य सरकारों की सराहना करती है । परिषद् अपने पदाधिकारियों और वास्तुकला परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों एवं शिक्षाविदों के प्रति वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्गदर्शन तथा सलाह के लिए आभार व्यक्त करती है ।

परिषद् अपने लेखा-परीक्षक, काउंसिल, अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2005-2006 के दौरान उपयोगी सेवाएं प्रदान कीं ।

ह0

(विनोद कुमार)

रजिस्ट्रार

****

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने वास्तुकला परिषद्, इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर 6 ए प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च, 2006 के संलग्न तुलन-पत्र तथा 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा और प्राप्ति तथा अदायगी लेखा (इसमें परिषद् के कार्यालयों के सभी लेखे शामिल है) की परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है ।

हमने भारत में सामान्यत:स्वीकृत किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है । इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते है कि क्या वित्तीय विवरण किसी विशेष गलत विवरण से मुक्त है । लेखा-परीक्षा में नमूना के आधार पर जाँच करना और वित्तीय विवरणों मे राशि एवं प्रकटनों का पोषक साक्ष्य शामिल होता है । लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान और समूचे वित्तीय विवरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है । हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है ।

हम रिपोर्ट देते है कि -

1. हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, जैसा कि हमारे द्वारा इन बहियों की जांच करने से पता चलता है, परिषद् ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा-बहियां रखी हुई है,
3. इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन-पत्र, आय-व्यय लेखा और प्राप्ति तथा अदायगी लेखा, लेखा-बहियों से मेल खाता है;
4. हमारी राय में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए है उनके अनुसार संलग्न अनुसूचियों सहित और लेखाकरण नीतियों के भाग के रूप में टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण में,

(क) 31 मार्च 2006 को परिषद् की कार्य स्थिति से संबंधित तुलन-पत्र,

(ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय के आय-व्यय लेखे, और

(ग) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के प्राप्ति तथा अदायगी लेखे का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

(शैलेश कुमार)
भागीदार

दिनांक : 31.08.2006
स्थान : नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(सांविधिक संगठन)

31 मार्च 2006 को तुलन-पत्र, 2006 (राशि - रु.)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समष्टि / पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
आरक्षित निधि तथा देयताएं	2	1,01,59,210.26	1,14,17,626.96
उद्दिष्ट निधियाँ	3	7,27,37,300.00	5,96,54,400.00
असुरक्षित ऋण	5	1,50,000.00	1,50,000.00
चालू देयताएँ	7	22,39,081.00	45,48,406.20
जोड		**8,52,85,591.26**	**7,57,70,433.16**
परिसंपत्तियाँ			
स्थायी परिसंपत्तियाँ	8	56,59,327.30	54,08,064.30
उद्दिष्ट निधियों से निवेश	9	6,53,93,112.00	5,53,73,063.00
निवेश-अन्य	10	31,75,986.00	24,84,609.00
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियाँ	11	1,10,57,165.96	1,25,04,696.86
जोड		**8,52,85,591.26**	**7,57,70,433.16**
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियां	20-21		

वास्तुकला परिषद् के लिए और
उसकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते शैलेश अग्रवाल एंड
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

विनोद कुमार
(रजिस्ट्रार)

ह.
(प्रेसीडेंट)

ह.
शैलेश कुमार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2006

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(लाभेतर संगठन)

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय (राशि - रु.)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
फीस	12	74,94,380.00	65,18,430.00
प्रकाशनों की बिक्री से आय	14	40,40,128.93	4,84,580.00
अर्जित ब्याज	15	34,15,360.92	36,38,594.10
अन्य आय	16	74,78,419.19	17,485.00
जोड़ (क)		2,24,28,289.04	1,06,59,089.10
व्यय			
स्थापना व्यय	18	44,93,128.00	34,30,340.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	19	1,89,01,296.74	67,46,304.00
मूल्यह्रास	8	2,92,281.00	2,01,710.00
जोड़ (ख)		**2,36,86,705.74**	**1,03,78,354.06**
आय से अधिक व्यय का शेष (ख-क)		12,58,416.70	**2,80,735.04**
आरक्षित निधि तथा अधिशेष में अंतरित		12,58,416.70	**2,80,735.04**
उद्दिष्ट निधि (गृ.नि.पे./स्टाफ क्वार्टर्स निधि) में अग्रेनीत अधिशेष			
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	20-21		

वास्तुकला परिषद् के लिए और
उसकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते शैलेश अग्रवाल एंड
एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

विनोद कुमार
(रजिस्ट्रार)

ह.
(प्रेसीडेंट)

ह.
शैलेश कुमार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.08.2006

COUNCIL OF ARCHITECTURE

New Delhi-110003

ANNUAL REPORT 2005 – 2006

The Council of Architecture, a statutory body constituted under the Architects Act, 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ended on 31.03.2006.

Organisational Structure:

The Council of Architecture functions under the overall charge of the President. The Registrar performs the statutory duties and functions and is assisted by the Administrative Officer under the general supervision of the President and Committees of the Council as provided under the Council of Architecture Regulations, 1982. The Union Ministry of Human Resource Development is the nodal ministry of the Council of Architecture.

The Council consists of elected and nominated representatives as members, namely, a nominee of the Central Government, an architect nominated by each State Government and Union Territory, five representatives elected from amongst members of the Indian Institute of Architects, five persons elected from amongst heads of architectural institutions, two persons nominated by the All India Council for Technical Education, the Chief Architect (ex-officio) of Central Public Works Department and Military Engineering Services, Ministry of Defence & Ministry of Railways, two persons nominated by Institution of Engineers (India) from among its members and one person nominated by the Institution of Surveyors of India from among its members.

Statutory and Other Committees:

In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council constituted the statutory committees, namely, the Executive Committee, which functions as an Executive Authority of the Council, Disciplinary Committee, which investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects, Advisory Committee (Appeals), which hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected.

Meetings of the Council and its Committees:

During the year under report, the Council met twice i.e. 45th Meeting was held on 28th April, 2005 and 46th Meeting was held on 30th November, 2005.

The Executive Committee met five times i.e. 80th Meeting on 2nd April, 2005, 81st Meeting on 27th April, 2005, 82nd Meeting on 20th September, 2005, 83rd Meeting 17th December, 2005 and 84th Meeting was held on 20th February, 2006.

The Disciplinary Committee met on 6th September, 2005 and 8th February, 2006, to hear the complaints filed against architects for alleged professional misconduct, as referred to it by the Council and upon hearing the complainants as well as the respondents-architects submitted its report to the Council for appropriate action.

The various decisions and actions taken by the Council and the aforesaid committees during the year under report are summarized as under :

1.0 Setting up National Institute of Advance Studies in Architecture (NIASA) - a Research Center of Council of Architecture at Pune.

The Council at its 45th Meeting held on 28th April, 2005 approved the establishment of its own Research Center known as National Institute of Advance Studies in Architecture (NIASA). The broad objectives of the Research Centre would be as under :

i) Introducing Quality Improvement Programme to train the trainers.
ii) Launching Continuing Education Programs for upgradation of architectural knowledge keeping in view the challenges being faced by the practicing architects.
iii) Training program for Inspectors appointed by the Council of Architecture for the purpose of undertaking inspection of Architectural Institution throughout India.
iv) The formation of a Committee on "Publication of Books on Architecture" to deal the matters connected with the promotion of publication of architectural books for the use of students studying architectural education and suggest creation of a knowledge bank of reference material as well as monitor the contents and quality of the textbook being prescribed for architectural syllabi.

This Research Center will cater to the needs of teachers in Architecture for their upgradation. Permanent facilities for research activities and the programmes' activities like CLIMON, which are funded by international organisations would also be created so that the same could be carried out by the Research Center. The Government of Maharashtra has agreed to allot land for setting up this Centre near Pune and it was also proposed to seek financial assistance to the tune of Rs. 25 crores from the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India for carrying out the activities of the Centre. This Centre would be self-supporting and would function under full control of the Council of Architecture.

2.0 Disciplinary Action:

Each and every architect is required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, as amended in 2003. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of being heard to the architect.

During the year under report, the Council at its 46th meeting held on 30th November, 2005, after affording an opportunity of being heard to the concerned Respondent Architects, who were found guilty of professional misconduct in terms of the provisions of the Architects Act, 1972, Ordered as under:

i) Shri Hafeez Contractor, Architect, (Registration No.CA/77/4043) be Cautioned;
ii) Shri Ziyauddin Mohd. I. Shaikh, Architect, (Registration No. CA/83/7837) be Suspended from practice for a period of Six months;
iii) Shri K. B. Sampath, Architect, (Registration No. CA/75/1433) be Suspended from practice for a period of Two years; and
iv) Shri Anirudha Dandekar, Architect (Registration No.CA/92/14595) be Cautioned.

3.0 Approval of New Institutions – 2005–06 :

During the year under report 10 new Institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses (including Part-time Courses) and 12 Institutions were granted approval

to impart Master of Architecture Courses. With this, the total number of institutions imparting recognized courses in architecture has risen to 135 with an annual student intake of 6642 at Undergraduate level and 740 at Postgraduate level.

4.0 Extension of Approval for academic session 2005-2006 onwards:

Council of Architecture had conducted 132 inspections for the academic session 2005 - 2006 and granted extension of approval or otherwise to the institutions as under:

i) Institutions granted extension of approval for B.Arch. Course for 2005 -2006 onwards with existing or higher intake intake : 69
ii) Institutions put on 'No Admission' for 2005 -2006 : 4

The Council has also initiated the process of inspection for the academic session 2006-2007 of institutions, which are due for inspections.

5.0 National Workshop on Working of Govt. Departments of Architecture at Centre/ State level:

The Council organized a National Workshop on Working of Government Department of Architecture of the Centre/ State Governments at Pondicherry on 16th & 17th December, 2005. Chief Architects and representatives from various Central/ State Government Departments/ organizations & other bodies attended this workshop. The recommendations of this Workshop have been submitted to the Executive Committee of the Council for deciding the strategy to take up issues brought out in the report at the respective levels.

6.0 Workshop on Architectural Education

The Council organized a Workshop on Architectural Education in collaboration with the Faculty of Architecture, CEPT University, Ahmedabad on 13th 14th February, 2006 at Faculty of Architecture, CEPT University, Ahmedabad. All the Members of the Executive Committee, all the Heads of Schools of Architecture in India, representatives of IIA, Members of UG and PG Board and other concerned persons were invited to participate in the workshop. In this workshop the draft proposals as submitted by UG and PG Board of the Council of Architecture on Minimum Standards of Architectural Education at UG and PG level were discussed. It was decided that the recommendations of this workshop be submitted to Council for approval for further action.

7.0 a) Removal of names of the Architects from the Register of Architects

The Council at its 45th meeting held on 28th April, 2005, removed the names of 11 architects and at 46th Meeting held on 30th November, 2005, removed the names of 18 architects from the Register of Architects upon their request or due to their death.

b) Restoration of names of architects to the Register of Architects:

The Council at its 45th meeting held on 28th April, 2005, restored the names of 778 architects during the period 21.08.2004 to 31.03.2005 and at it 46th Meeting held on 30th November, 2005, restored the names of 1122 architects during the period of 01.04.2005 to 21.10.2005 who have got their names restored on payment of requisite fees, to the Register of Architects.

8.0 a) Approval of Budget for the year 2005-2006 :

The Council, at its 45th meeting held on 28th April, 2005, approved the budget estimates for the year 2005-2006, recurring expenditure to the extent of Rs. 1,33,03,000/- and non-recurring to the extent of Rs.12,50,000/- estimated to be incurred during the financial year 2005-2006, as against the income receivable amounting to Rs. 1,45,85,000/-.

b) Appointment of Auditors :

The Council at 46th Meeting held on 30.11.2005, appointed M/s. Shailesh Aggarwal & Associates, Chartered Accounts, New Delhi, as its Auditors for auditing the Accounts of the Council of Architecture on an audit fee of Rs.10,000/-.

9.0 Enforcement of the Professional Conduct Regulations, 1989:

It has been noticed by the Council of Architecture that user industries including government department/ undertakings and local bodies have been continuing with the practice of engaging architects by inviting tenders/ financial bids and insisting to deposit earnest money, as mandatory conditions, in order to make them eligible for providing architectural services/ consultancy. The Council has also been taking disciplinary action against Architects who respond to advertisements that are not as per its norms and offering their services contrary to the Regulations.

At the instance of the practising architects, the Council has written numerous letters to various authorities namely, State Governments, Municipal Corporations, Municipal Councils, Universities, as to not to insist architects to pay tender cost; quote lowest fees contrary to the minimum fees prescribed by the Council of Architecture and deposit of earnest money, as these conditions will put restrictions on architects right to practice the profession. The Council has also taken up the matter with the Central Vigilance Commission as they have prescribed some guidelines on appointment of Consultants.

10.0 Architectural Competitions:

The Council has assisted a number of promoters in the conduct of the architectural design competitions, namely, Airports Authority of India, Navodaya Vidyalaya Samiti, National Archives of India, and various other Municipal Corporations, organizations and individual Clients etc. for their projects in compliance with the architectural competitions guidelines prescribed by it. The guidelines and inputs required by the promoters and competitors from the Council in the conduct of the competitions were made available as and when request were received.

11.0 Registration of Architects:

The Council registers a person as an architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of architecture in India and holds a recognized architectural qualification.

During the year (1st April, 2005 to 31st March, 2006), the Council has registered 2294 persons as architects and with this as on 31st March, 2006, a total of 37827 persons have been registered as architects.

12.0 Enforcement of the Architects Act, 1972 :

During the year under report the Council has written various letters to the Chief Secretaries of State Governments and Local Bodies and Development Authorities, etc. for implementing the provisions of the Architects Act, 1972 and the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, in particular regarding: (i) the protection of title and style of architect: (ii) no further registration or fees are asked by the Local Bodies from the architects registered with the Council of Architecture; (iii) to protect the privilege of architects to pursue their profession of architecture; and (iv) Architect's licence should not be issued to any person who is not registered as an architect with the Council of Architecture.

The Council has issued notices to various individuals/ firms using the title and style of architect without being registered with the Council of Architecture and carrying on the architectural profession illegally. The Council is also pursuing vigorously the Criminal complaints filed against persons misusing the title and style of architect, at the Patiala House District Court in Delhi for taking cognizance of the offences by the Court as provided under the Architects Act, 1972 and punishing the individuals engaged in these types of acts, as per the provisions of the Act.

13.0 Publications:

Council of Architecture is publishing a magazine titled "architecture - time space & people" every month which is sent free of cost, to all the registered architects and it provides useful information about the activities of the Council and issues concerning architectural profession and latest technological advancements and innovations applied. This magazine is presently printed and published with assistance of M/s. Lifestyle Media, New Delhi.

14.0 Revision in National Building Code of India:

Despite the best efforts of the Council of Architecture to impress upon the Bureau of Indian Standards (BIS), to cause amendments in the National Building Code Part-2, Administration, to fall in line with the provisions of the Architects Act, 1972, and not to prescribe deprecated competence of Architects. The BIS has come out with a new version of the National Building Code.

This National Building Code document is being followed widely almost throughout the country but the design competence prescribed for Architects in it is adversely affecting the profession and general public which ought to be served by qualified professionals. Keeping in view of the interest of the general public and intent with which the Architects Act, 1972, has been enacted by the Parliament of India and numerous representations received from practising Architects in the matter, the Council has approached the High Court of Delhi to resist BIS to not to deal with the qualifications and competence of the Architects as the same are provided and controlled under the provisions of the Architects Act, 1972.

15.0 General Agreement on Trade in Services in World Trade Organisation:

The Council of Architecture is continuously interacting with its nodal Ministry, Ministry of Human Resource Development, Government of India and the Ministry of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India, which is the concerned Ministry to coordinate all the issues related with the GATS in WTO, for providing relevant inputs to these Ministries for considering the requests and offers of India for Architectural Education and Services.

Further, in order to forge an Mutual Recognition Agreement with Board of Architects, Singapore as per the Comprehensive Economic Cooperation Agreement signed between Govt of India and Govt. of Singapore, and as per the directions of the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, the Council arranged a meeting at its office at New Delhi with the officials of Board of Architects, Singapore in the month of March 2006 and follow up actions pursuant to the deliberations of meeting have been initiated.

16.0 Acknowledgement:

The Council of Architecture would like to place on record its appreciation and thanks to the officers of the Ministry of Human Resource Development, for extending their cooperation to Council in its functioning, all Schools of Architecture and State Governments. The Council also expressed its gratitude to the office bearers and members of the Council of Architecture, Experts, other professional bodies, practising architects and academicians for having offered their cooperation, guidance and advice for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to its Auditor, Counsel, Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2005 - 2006

VINOD KUMAR
Registrar

****

AUDITORS' REPORT

We have audited the annexed Balance Sheet of **"COUNCIL OF ARCHITECTURE"**, India Habitat Centre, Core 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi – 110003, as at 31st March, 2006 and also the Income & Expenditure Account and the Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March, 2006, incorporating the accounts of all the Council Offices. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We further report that:-

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;

2. In our opinion, proper books of accounts as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;

3. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:-

   a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2006 and

   b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over expenditure for the year ended on that date.

   c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and payments flows for the year ended on that date.

For Shailesh Aggarwal & Associates
Chartered Accountant

SHAILESH KUMAR
Partner

Date: 31.08.2006
Place: New Delhi

COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI
(NON-PROFIT ORGANISATION)
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2006

(Amount Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Reserves and Surplus	2	1,01,59,210.26	1,14,17,626.96
Earmarked Funds	3	7,27,37,300.00	5,96,54,400.00
Unsecured Loans	5	1,50,000.00	1,50,000.00
Current Liabilities	7	22,39,081.00	45,48,406.20
TOTAL		8,52,85,591.26	7,57,70,433.16
ASSETS			
Fixed Assets	8	56,59,327.30	54,08,064.30
Investments-From Earmarked Funds	9	6,53,93,112.00	5,53,73,063.00
Investments-Others	10	31,75,986.00	24,84,609.00
Current Assets, Loans & Advances	11	1,10,57,165.96	1,25,04,696.86
TOTAL		8,52,85,591.26	7,57,70,433.16
Accounting Policies & Notes to Accounts	20-21		

for and on behalf of
THE COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date
for SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Sd/-
(REGISTRAR)

Sd/-
(PRESIDENT)

Sd/-
SHAILESH KUMAR

Place : New Delhi
Dated : 31.08.2006

COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI
(NON-PROFIT ORGANISATION)
INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON, 31st MARCH 2006

(Amount-Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Fees	12	74,94,380.00	65,18,430.00
Income from Sale of Publication	14	40,40,128.93	4,84,580.00
Interest Earned	15	34,15,360.92	36,38,594.10
Other Income	16	74,78,419.19	17,485.00
TOTAL (A)		2,24,28,289.04	1,06,59,089.10
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	18	44,93,128.00	34,30,340.00
Other Administrative Expenses	19	1,89,01,296.74	67,46,304.00
Depreciation	8	2,92,281.00	2,01,710.00
TOTAL (B)		2,36,86,705.74	1,03,78,354.06
Balance being excess of Expenditure over Income (B-A)		12,58,416.70	2,80,735.04
Transferred to Reserve and Surplus		12,58,416.70	2,80,735.04
Balance being surplus Carried to Earmarked Fund (HBA/Staff Qtrs. Fund)			
Accounting Policies & Notes to Accounts	20-21		

for and on behalf of
THE COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date
for SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Sd/-
(REGISTRAR)

Sd/-
(PRESIDENT)

Sd/-
SHAILESH KUMAR

Place : New Delhi
Dated : 31.08.2006

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007